अपील पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकरण संख्या 11/2015(RCMS : 2015/00053) श्रीगंगानगर कैट स्कैन एण्ड हार्ट सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड, जरिये निदेशक डा. विशु टांटिया पुत्र स्व. डा.-श्याम सुन्दर टांटिया, जाति अग्रवाल निवासी 2–ए–32–33, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्रीगंगानगर कैट स्कैन एण्ड हार्ट सैंटर प्रावईवेट लिमिटेड के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। श्रीगंगानगर कैट स्कैन एण्ड हार्ट सैंटर प्रावईवेट लिमिटेड के अधिवक्ता श्री बृज भूषण तिवारी दिनांक 02.07.2019 को उपस्थित हुए थे एवं नोटशीट के हाशिये पर नॉट प्रैस इस आश्य की अंकित की है कि उन्होनें अपील दिनांक 21.05.2015 को अन्तर्गत धारा 21, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, अधिनियम, 1994, सपठित नियम 19, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीक नियमावली, 2003 के अन्तर्गत जो कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.02. 2015 के विरूद्ध पेश की था, परन्तु अब इस प्रकरण वे अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है और यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 21.05.15 को यह अपील प्रार्थी श्रीगंगानगर कैट स्कैन एण्ड हार्ट सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा धारा 21, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, अधिनियम, 1994, सपठित नियम 19, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीक नियमावली, 2003 के अन्तर्गत उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.02.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.05.2015 को की थी अब **प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अब अपीलार्थी श्रीगंगानगर कैट स्कैन एण्ड हार्ट सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, इसलिए उनके द्वारा धारा 21, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, अधिनियम, 1994, सपठित नियम 19, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीक नियमावली, 2003 **के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दिनांक 21.05.2015 इसी आधार पर खारिज की जाती है।** आदेश की प्रति उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर